


मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय



भोपाल, दिनांक 03/06/2024

क्रमांक/ 349 /73/सी.सी./24/अडतीस
प्रति,

1. कुलसचिव
समस्त शासकीय विश्वविद्यालय
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अशासकीय अनुदान प्राप्त/अशासकीय महाविद्यालय,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।


विषय:-प्रवेश सत्र 2024-25 की ऑनलाईन ई-प्रवेश प्रक्रिया में जमा की जाने वाली फीस के संबंध में।

--00--

विषयांतर्गत प्रवेश सत्र 2024-25 की जारी प्रवेश मार्गदर्शिका एवं एन.सी.टी.ई. की मार्गदर्शिका में प्रवेश शुल्क जमा करने के संबंध में दिए गए निर्देश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

1. प्रवेश शुल्क राशि रूपये 5000/- अथवा इससे कम होने पर संपूर्ण शुल्क एकमुश्त जमा करना होगा।
2. प्रवेश शुल्क राशि रूपये 5000/- से अधिक होने पर प्रथम किश्त 5000/- रूपये जमा कर प्रवेश प्राप्त कर सकता है शेष शुल्क तीन समान किश्तों में जमा करना होगा।


उपरोक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष निर्देश पूर्ववत रहेंगे।


(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 03/06/2024

पृ.क्रमांक/ 350 /73/सी.सी./24/अडतीस
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक मान. मंत्री जी, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
2. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
3. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
5. सी.ई.ओ., एम.पी.ऑनलाइन, भोपाल की ओर उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग,


4/6/24